

GCMC = 2024/22 ; मोहनलाल / ग्रा.पंचा. गजवाडा

20/11/24

वकील मंडल ने आज न्यायालय में पंजीयति नही देने का निर्णय किया है। फेरी दस्तावेज पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश की।

18/12/24

पत्रावली पेश की।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेज दृष्टांत प्रार्थी पत्र को अपने तरीके चलाने का निर्वेदन किया है। विवादा प्रकल्प में वकील प्रार्थी का निर्वेदन स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में जैर सुनद प्रार्थी पत्र वकील प्रार्थी की दृष्टांत से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैमिल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कात होकर मूल प्रिजावली के साथ रखी की।

अति. विला कलक्टर पाली